'कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाये'

दौसा। भारतीय जनता पार्टी जिला दौसा की कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर की कार्यशाला में आज प्रदेश सह प्रभारी मनीष पारीक, दौसा संगठन प्रभारी सोमकांत शर्मा, सह प्रभारी रमेश सालेचा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया । जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने

■ **पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की जिला कार्यशाला सम्पन्न**

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।जिससे भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर पहुँचा सके। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ.रतन तिवाडी ने 1947 जनसंग से लेकर 2026 आज तक भाजपा संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा जिला संगठन प्रभारी सोमकांत शर्मा ने व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण, संगठन

भारतीय जनता पार्टी जिला दौसा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ प्रदेश सह प्रभारी मनीष पारीक ने किया।

निर्माण से राष्ट्र निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। प्रदेश सह प्रभारी मनीष पारीक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर की कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरितवाल ने बताया कि इस अवसर दौसा जिला संगठन सहप्रभारी रमेश सालेचा, पूर्व ज़िलाध्यक्ष घनश्याम बालाहेडी, टीकम सिंह गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सिकंदर वाधवन, महावीर गुर्जर, जिला महामंत्री विपिन जैन, हरकेश मटलाना, लेखराज कसाना, सोमेश विजय सहित ज़िले के सभी मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारी सहित अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पार्क की बिगड़ रही है दशा

सांभरझील (निसं)। पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान पांच बत्ती चौराहा स्थित जिस सार्वजनिक नेहरू गार्डन को पूर्णतया डवलप कर जो लुक दिया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में विगत 2 दशकों से इसकी शोभा निरंतर बिगड़ती जा रही है।

आने वाले चेयरमैन इसकी शोभा को बरकरार रखने में पूरी तरह विफल साबित हुए। कारण बताए जा रहा है कि यह नेहरू गार्डन भी कथित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया क्योंकि इन 2 दशकों में इस पर पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए लेकिन रूप सुधर सका और न ही अंदर की फुलवारी को बरकरार रख सके। बता दे की चार दिवारी की मरम्मत और रंग रोशन पर काफी पैसा खर्च हुआ और काम में भी लीपापोती होने से उसकी कई दफा परत तक उखड़ गई। दीवारों पर ऐतिहासिक स्थलों व महापुरुषों की चित्रकारी भी आज तक पूरी नहीं हो सकी।

पार्क में हरी दूब 80 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो चुकी है। पार्क में सीमेंट की टूटी बेंच का मलबा पड़ा है। जिस स्थान पर बच्चे सुबह शाम खेलने आते हैं वहां पर कई दिनों से कचरे का ढेर पड़ा है। 20 सालों में पार्क के मध्य में सौंदर्य के लिए लगाया फवारा शो पीस बन चुका है।

8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचने का आव्हान

सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों को दौराकर यूजीसी एक्ट को लेकर दिल्ली में 8 मार्च को आयोजित रैली में शामिल होने का आव्हान किया।

दौसा। सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों को दौराकर यूजीसी एक्ट को लेकर दिल्ली में 8 मार्च को आयोजित रैली में शामिल होने का आव्हान किया।

ब्राह्मण महांसघ जिला सचिव कमलेश जोशी अचलपुरा ने बताया यूजीसी काले कानून के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान मे ज्यादा से संख्या में पहुचने के लिए के लिए आहवान किया।

उन्होंने बताया कि यूजीसी जैसै काले कानून के विरोध मे पूरे देश व प्रदेश भर मे विरोध प्रदर्शन किये जा रहे है। सवर्ण समाज सडको पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे, जिससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

■ **ब्राह्मण महांसघ जिला सचिव कमलेश जोशी अचलपुरा ने बताया यूजीसी काले कानून के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में ज्यादा से संख्या में पहुंचने की अपील की**

सरकार को यूजीसी जैसै काले कानून पर सुधार करने की जरूरत है जिससे देश मे माहौल खराब नही हो।

इस दौरान राजेन्द्र शर्मा, टप्पू अचलपुरा ने कहा कि जब तक यूजीसी जैसै काले वापिस नही किये जाते तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। घासी सिंह राजपूत उपसरपंच ने बताया कि यूजीसी जैसै काले कानून बहुत ही घातक है जो सवर्ण समाज के बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड है। उन्होने बताया कि आज तकरीबन एक दर्जन से अधिक ठामीण क्षेत्रों को सघन दौराकर सवर्ण समाज से 8 मार्च को रामलीला मैदान में आयोजित रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आव्हान किया।

इस दौरान जितेन्द्र राजपुत, सुनील राजपुत, संदीप राजपुत, रमेश राजपुत, अर्जून सिंह राजपुत, दिनेश जोशी, कैलाश राजपुत आदि अनेक लोग मौजूद रहे।

भरतपुर में फार्मेसी शिक्षा के जनक प्रो.श्रॉफ का जन्मदिवस मनाया

भरतपुर (निस)। श्री हरिदत्त कॉलेज ऑफ फार्मेसी में रेड रिबिन क्लब के तत्वाधान में फार्मेसी शिक्षा के जनक कहे जाने वाले प्रो. महादेव लाल श्रॉफ का जन्मदिवस निदेशक डॉ. आलोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम से मनाया।

इस अवसर पर डॉ. आलोक शर्मा ने बताया कि प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को "भारतीय फार्मेसी शिक्षा का जनक" माना जाता है। उन्होंने भारत में फार्मेसी को एक अकादमिक और पेशेवर विषय के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

उनका जन्म 6 मार्च को हुआ था, जिसे राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसके उपलक्ष्य में छात्र-छात्राओं के साथ केक काटकर जन्मदिवस मनाया। इस

■ **भारत में फार्मेसी को एक अकादमिक और पेशेवर विषय के रूप में स्थापित करने में प्रो. महादेव लाल श्रॉफ की भूमिका उल्लेखनीय रही**

उपलक्ष्य में फार्मेसी के एच. ओ. डी. विनोद छारिया ने अपने विचार रखे और फार्मेसी के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने रंगोली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फार्मेसी व आयुर्वेद विभाग के छात्र-छात्राओं के बीच में हुई दोहो, श्लोकों व चौपाइयों की अन्ताक्षरी रही।

इस अवसर पर प्राचार्य यशवन्त, डी सी सैनी, रविकान्त पाराशर, प्रमोद कुमार गुप्ता, नगेन्द्र सिंह, सन्दीप खण्डेलवाल, नन्दकिशोर अठावाल, करन कुमार, कृष्णवीर सिंह, पी.डी. शर्मा, त्रिलोक, ललित, राजपाल सिंह, सुनील लोधा, बनवारी धनगर, प्रतीक उपमन, विनोद अवस्थी, पूनम चौधरी, नेहा ओमर आदि गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। संचालन विनोद छारिया ने किया।

बीसलपुर पेयजल परियोजनाओं से गांवों को जोड़ने के काम में गति लाएं : कलेक्टर

टोंक। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्राम पंचायत पलेई में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में बीसलपुर पेयजल परियोजना से गांवों को जोड़ने, पलेई की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत, ग्राम पंचायत का रिकार्ड नगर पालिका निवाई को सुपुर्द करने, गौशाला बनवाने जैसी समस्याएं सामने आई, जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का हल तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण करें। उन्होंने उपखंड अधिकारी प्रीति मीना को विभागों से समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता से ग्रामीणों की सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को सुना, उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशानुसार आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करें और पात्र लोगों को सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने बीसलपुर पेयजल परियोजना से पलेई गांव को जोड़े जाने की प्रगति को लेकर जलदाय विभाग के अभियंताओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए घर घर नल कलेक्शन के काम में गति लायें। साथ ही ग्राम पंचायत में खराब हैंडपंपो को शीघ्र दुरस्त कर रिपोर्ट एसडीएम को प्रस्तुत करें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम महमूद खान (Mahmood Khan) से बदलकर महमूद खान (Mahamood Khan) रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम महमूद खान (Mahamood Khan) पुत्र फत्तू खान के नाम से जाना जावे। निवासी- वार्ड नं.24ए मदीना कॉलोनी, नगर पालिका के पीछे, चौमूं, जयपुर, राजस्थान

मैंने अपना नाम सोनिया से बदलकर सुची गांधी रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सुची गांधी पत्नी श्री कमल माहेश्वरी निवासी शांति नगर, दुर्गापुरा, रेलवे स्टेशन, जयपुर-302018 राजस्थान के नाम से जाना जाये।

मेरा नाम पुरुषोत्तम दास अग्रवाल से बदलकर पुरुषोत्तम अग्रवाल रख लिया है आज से मुझे इसी नाम से जाना जाए मेरी जन्म तिथि 11.0 8. 1958 की जगह 13.08. 1958 पढ़ा जावे पता ए 25/26 सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर जयपुर राजस्थान

मेरी दसवीं की मार्कशीट में त्रुटिवस मेरा नाम कु. अंकिता पाण्डेय दर्ज हो गया है जबकि मेरे आधारकार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अंकिता पाण्डेय दर्ज है जो सही है अतः भविष्य में मुझे अंकिता पाण्डेय नाम से जाना जाए। पताः- 39 सरस्वती विहार, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर

मैंने मेरा नाम अनिशा खान (Anisha Khan) से बदलकर अनिशा (Anisha) रख लिया है आगे से मुझे अनिशा के नाम से जाना जावे पता ए-160 संजय नगर भट्टा बस्ती के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर

मैं शैलेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री अनंत सिंह निवासी 147 आदर्श पुरम पटरी रोड पोस्ट गोले का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश हूँ। मेरे पुत्री कशिश तोमर के अंकसुचि में मेरी पत्नी का नाम संगीता तोमर दर्ज है, जो गलत है। सिविल दस्तावेजों के अनुसार मेरी पत्नी का वास्तविक नाम संगीता देवी है, जिनकी जन्मतिथि 30 जनवरी 1984 है।

मै बबीता बाई W/o आर्मी नंबर 15208670M हवलदार हरिसिंह कुम्भहार निवास स्थान मकान नंबर 743 वार्ड नं.- 10, ग्राम पोस्ट- अरनिया कलॉ, तहसील- काला पिपल, जिला- शाजापुर मध्य प्रदेश पिन नंबर 465333 मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा (Babita Kumbhar) बबीता कुम्भहार गलत नाम दर्द है मेरे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेरा नाम बबीता बाई Babeeta Bai) है जो की सही और सत्य है। शपथ पत्र एवं नोटेरी दिनांक 27.02.2026 जिला न्यायालय जयपुर।

I have changed my name from Gourav Jain to Gaurav Jain. Therefore I will be known or distinguished in public by new name of Gaurav Jain, 1262 Acharyion Ka Rasta Kishanpole Bazar, Jaipur, Rajasthan-302003

I have changed my name from Darshana Rakesh Kumar Soni to Darshana Soni for all purpose in future. R/o A-27, Vivekanand Colony Naya Kheda Ambabari Jaipur.

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

BBMS
Animal Husbandry College
A-10, New Ramgarh Road, Jaipur-2
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर (RAJUVAS) से संबद्धता प्राप्त
AHDP एनीमल हसबेंड्री डिप्लोमा में 12वीं पास जीव विज्ञान/कृषि से काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश प्राप्त करें।
ओरिजनल प्रमाण पत्र सहित दिनांक 12.03.2026 तक 10वीं, 12वीं मार्कशीट मूलनिवास, जाति, टी.सी., सी.सी. फोटो सहित आवेदन करें:- 8619105633

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास, खैरथल-तिजारा

क्रमांक:- 5401 दिनांक-04/03/2026

लोक सूचना
प्रारूप-10
नियम 6 (7) देखिए

आवेदक/खातेदार श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नि श्री प्रेम प्रकाश निवासी सेक्टर 01, रेवाड़ी तह० व जिला रेवाड़ी राज्य आवेदक मरो प्रेम प्रकाश पुत्र श्री रामपत मल निवासी सेक्टर 01, रेवाड़ी तह० व जिला रेवाड़ी राज्य हरियाणा, श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जय दयाल निवासी साऊथ सिटी 01, गुड़गाव तह० व जिला गुड़गाव राज्य हरियाणा ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम-खैरथल, खैरथल-तिजारा, **ग्राम का नाम**-नूरनगर हल्का पटवार, **खसरा नं.**-877/858, 831/658, 830/658, 875/828, 879/827, 678, 873/829, **क्षेत्र**-2.8452 है (28452 वर्गमीटर)

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति के निर्वापन पर कोई आक्षेप हैं तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 17/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि महन्त नरेशपुरी ने पंजीकृत प्रन्यास श्री बालाजी महाराज घाटा मेंहदीपुर ट्रस्ट, घाटा मेहन्दीपुर तहसील सिकराय जिला दौसा जिसका पंजीयन कमांक 243 जयपुर 1966 के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास विधान में संशोधन कर संशोधित विधान व श्री जगदीश प्रसाद गोस्वामी, श्री जसवन्त कुमार गुप्ता, श्री नरेन्द्र कुमार पुरोहित, श्री ज्ञानचन्द जैन, श्री जुगल किशोर गुप्ता व श्री संजय बत्रा को नवीन प्रबंध समिति का सदस्य मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 5.3.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.4.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1555

चूंकि प्रार्थी श्री DR. PREM SURANA, 08 GAURAV NAGAR NEAR CM HOUSE CIVIL LINES JAIPUR 302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास POOJA SEVA SHIKSHA SAMITI JAIPUR, B 22 GANESH MARG BAPU NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1554

चूंकि प्रार्थी श्री DR. PREM SURANA, 08 GAURAV NAGAR NEAR CM HOUSE CIVIL LINES JAIPUR 302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FATEHPURA ROAD POST KUMAHARIYAWAS VATIKA JAIPUR RAJASTHAN 303903 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.4.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1666

चूंकि प्रार्थी श्री BHANUMATI, B-19, MATHUR VAISHYA NAGAR, NEAR SITABADI RAM MANDIR, TONK ROAD JAIPUR-302029 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास VISHVA NAMDEV SAMAJ SANGATHAN, B-19, MATHUR VAISHYA NAGAR, NEAR SITABADI RAM MANDIR, TONK ROAD JAIPUR - 302029 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1729

चूंकि प्रार्थी श्री शिव शंकर मंघनानी, 51/137, प्रताप नगर, सेक्टर-5 के पीछे, पूताप प्लाजा, सांगानेर, जयपुर 302033 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति, F-17, RAJPUTANA TOWER B, KHATIPURA, JASWANT NAGAR, NEAR MARUDHAR HOSPITAL, JAIPUR 302012 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1433

चूंकि प्रार्थी श्री GIRIRAJ KUMAR SHARMA, 15/3, KISAN MARG, MANSINGHPURA, TONK ROAD, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास शिव सेवा मण्डल समिति 90/42, PATEL MARG, MANSAROVAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1706

चूंकि प्रार्थी श्री SIDDHARTH GUPTA, FLAT NO 603, GOLD TAMARA K.G. INFRA, CP-24, NEAR D-MART, VIVEKANAND NAGAR, ENGINEERING COLLEGE, KOTA, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास ओएसिस एजुकेशनल सोसायटी 91, JAI JAWAN COLONY II, OPPOSITE SANGHI FARM, TONK ROAD, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1689

चूंकि प्रार्थी श्री PRADEEP JOHARI, BEETLES INTERNATIONAL SCHOOL, SUMEL ROAD, PURANI CHUNGI, AGRA ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मोती राज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी C-10, BAL MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत — **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1719

चूंकि प्रार्थी श्री RAM BABOO GUPTA, 5/3 खंडेलवाल टावर विद्याधर नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री मधुकर स्मृति सेवा प्रन्यास B-19, NEW COLONY, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा